न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :–श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस.

उनवान

अपीलकर्ता		**उत्तरदातागण**
1. श्रीमती खीयादेवी पुत्री हमीराराम पत्नि जगदीश कुमार जाति गुरड़ा निवासी सियाणी तहसील रामसर । 2. श्रीमती पपुदेवी पुत्री हमीराराम पत्नि ताराराम जाति गुरड़ा निवासी सियाणी तहसील रामसर।	बनाम	1. ग्राम पंचायत इन्द्रोही जरिये सरपंच 2. मोहन पुत्र हमीरा 3. वासु पुत्र हमीरा 4. केवला पुत्र किशना 5. अकली (अकी) पुत्री किशना 6. केकुदेवी पत्नि गेना 7. बाबु पुत्र गेना 8. भींमा पुत्र गेना 9. लुणा पुत्र गेना जाति गुरड़ा निवासी सियाणी तहसील रामसर। 10. तहसीलदार रामसर।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 145 मौजा कानपुरा दिनांक 05.04.2018

राजस्व अपील संख्या 13/2024 — दिनांक :–19.05.2025

वादी वकील श्री मदनसिंह भाटी उपस्थित।

निर्णय

संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कानपुरा पटवार मण्डल इन्द्रोही के खेत खसरा 234 रकबा 43 अपीलकर्ता एवं उत्तरदातागण के पूर्वज किशनां की खातेदारी में दर्ज हुआ था अपीलकर्ता और उत्तरदातागण समस्त किशना के वारिशान है तथा किशना के वारिशान गेना, हमीरा, केवला पिसरान किशना एवं उनकी बहने अकली एवं ढेली के नाम से नामान्तकरण स्वीकृत किया गया थ। तत्पश्चात ढेलीदेवी द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का हकतर्क कर दिया तत्पश्चात अपीलकर्ता व उत्तरदाता संख्या 2 एवं 3 के पिता हमीरा का 1/4 हिस्सा, उत्तरदाता संख्या 4 का 1/4 हिस्सा, उत्तरदाता संख्या 5 का 1/4 हिस्सा, उत्तरदाता संख्या 6 से 9 के पूर्वज गेना का 1/4 हिस्सा हुआ तथा पक्षकारान इसी प्रकार मौके पर काबिज हो गये। तत्पश्चात गेना का स्वर्गवास होने पर उनके विधिक वारिशान उत्तरदाता संख्या 6 से 9 के नाम नामान्तकरण स्वीकृत हुआ था तथा इसी प्रकार अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 1 से 2 के पिता मुतवफी हमीराराम का स्वर्गवास होने पर अपीलकर्ता और उतरदाता संख्या 2 एवं 3 हमीराराम के हिस्से पर काबिज हो गये एवं काश्त करने लगे। मुतवफी हमीराराम के स्वर्गवास के समय परिवार का कर्ता उतरदाता संख्या 3 वासुराम था तथा अपीलकर्ता एव उत्तरदाता संख्या 2 को पूर्ण विश्वास एवं भरोसा था वह समस्त खातेदारों में बराबर नामान्तकरण दर्ज करायेगा लेकिन उतरदाता संख्या 3 द्वारा अपीलकर्ता का नाम छिपाते हुये नामान्तरण संख्या 145 दिनांक 05.04.2018 उत्तरदाता संख्या 02 एवं 03 के पक्ष में नामान्तकरण करवा दिया। इस कारण अपीलाण्ट की और से नामान्तकरण संख्या 145 दिनांक 05.04.2018 को निरस्त कर अपीलकर्ता का नाम अंकित करते हुये पुनः नामान्तकरण स्वीकृत किया जावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। उत्तरदातागण 2 की की और से ईकबालियां जवाब प्रस्तुत कर अपील के तथ्य स्वीकार कर अपीलाण्ट के नाम सह खातेदारी में घोषित कर कर अपील को स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। अन्य उत्तरदाता गण उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

अतः मौजा कानपुरा पटवार मण्डल इन्द्रोही के खेत खसरा 234 रकबा 43 में नामान्तकरण संख्या 145 दिनांक 05.04.2018 निरस्त किया जाता हैं एंवम पुनः जांच कर मुतवफी हमीराराम के विधिक वारिशानो के नाम नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है।

तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावें खर्च पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रामसर
सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर